

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1(8)एमई/ग्रुप-1/08

जयपुर, दिनांक 29-04-2013

आ दे श

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंसा पर महामहिम राज्यपाल महोदय डॉ. अजय जैन, जिनकी जन्मतिथि 12-10-1971 है एवं मेरिट क्रमांक एम-01/सामान्य है, को वरिष्ठ प्रदर्शक, बायोकेमिस्ट्री के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड पे-5400) में अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं। ये चिकित्सक पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, अतः वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13-03-2006 के अनुसार इनके वेतन-भत्ते आदि देय होंगे।

इस नियुक्ति पर डॉ. जैन का पदस्थापन मेडिकल कालेज, अजमेर में वरिष्ठ प्रदर्शक, बायोकेमिस्ट्री के रिक्त पद पर किया जाता है।

उपरोक्त नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।


उपरोक्त चिकित्सक पूर्व में ही राज्य सेवा में कार्यरत है, ऐसी स्थिति में वरिष्ठ सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैकेंडरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर कार्यभार पर उपस्थिति प्रस्तुत कर देनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यक्षों निबन्धकों एवं शर्तों के तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्वधीन है।

उपरोक्त चिकित्सक की नियुक्ति माननीय न्यायालय में लंबित एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. नं. 11878/2011 में अंतिम निर्णय के अध्वधीन होगी।

आज्ञा से,


संयुक्त शासन सचिव

प्रातिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ 7(10)भर्ती/गोपनीय/2010-11/610 दिनांक 11.02.2013 के क्रम में।
4. अति. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, अजमेर।
6. डॉ. अजय जैन, विजय निवास, कचहरी चौक, पुराना शहर, किशनगढ़-305802
जिला-अजमेर (रजिस्टर्ड डाक से)।
7. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।


शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1(8)एमई/ग्रुप-1/08

जयपुर, दिनांक 29-04-2013

आ दे श

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंसा पर महामहिम राज्यपाल महोदय डॉ. शालू गुप्ता, जिनकी जन्मतिथि 07-09-1979 है एवं मेरिट संख्या एम-2/सामान्य महिला है, को वरिष्ठ प्रदर्शक, बायोकेमिस्ट्री के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड पे-5400) में अधिसूचना क्रमांक प.1(2)एफडी/रूल्स/08 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रूपये 16800/- प्रतिमाह की दर पर अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं।

इस नियुक्ति पर डॉ. गुप्ता का पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, कोटा में वरिष्ठ प्रदर्शक, बायोकेमिस्ट्री के रिक्त पद पर किया जाता है।

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.2004 के अनुरूप अशुदायी पेंशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।


उपरोक्त चिकित्सक के चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण करा लिया गया है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैक्रेण्टरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर कार्यभार पर उपस्थिति प्रस्तुत कर देनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अधधीन नियन्त्रकों एवं शर्तों के तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अधधीन है।


उपरोक्त चिकित्सक को नियुक्ति माननीय न्यायालय में लंबित एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. न. 11878/2011 में अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।

आज्ञा से,


संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ 7(10)भर्ती/गोपनीय/2010-11/610 दिनांक 11.02.2013 के छम में।
4. अति. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कोटा।
6. डॉ. शालू गुप्ता, मकान न. 82/84, अरावली मार्ग, मानसरोवर, जयपुर-302020 (रजिस्टर्ड डाक से)।
7. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।


शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1(8)एमई/ग्रुप-1/08

जयपुर, दिनांक 29-04-2013

आ दे श

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंसा पर महामहिम राज्यपाल महोदय डॉ. रविन्द्र शर्मा, जिनकी जन्मतिथि 12-03-1983 है तथा मेरिट क्रमांक एम-5/सामान्य है, को वरिष्ठ प्रदर्शक, बायोकेमिस्ट्री के पद पर वेतन श्रृंखला 15800-39100 (ग्रेड पे-5400) में अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं। ये चिकित्सक पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, अतः वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13-03-2008 के अनुसार इनके वेतन-भत्ते आदि देय होंगे।

इस नियुक्ति पर डॉ. शर्मा का पदस्थापन मेडिकल कालेज, अजमेर में वरिष्ठ प्रदर्शक, बायोकेमिस्ट्री के रिक्त पद पर किया जाता है।

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.12.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.2004 के अनुसार अशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।


उपरोक्त चिकित्सक पूर्व में ही राज्य सेवा में कार्यरत हैं, ऐसी स्थिति में चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैक्रेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर कार्यभार पर उपस्थिति प्रस्तुत कर देनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अधधीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अधधीन है।

उपरोक्त चिकित्सक की नियुक्ति माननीय न्यायालय में लंबित एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. न. 11878/2011 में अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।

आज्ञा से,


संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ 7(10)भर्ती/गोपनीय/2010-11/610 दिनांक 11.02.2013 के क्रम में।
4. अति. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, अजमेर।
6. निदेशक (जनस्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
7. डॉ. रविन्द्र शर्मा, पंचायत समिति क्वार्टर्स के पीछे, हनुमान कॉलोनी, कुचामन सिटी, नागौर-341508 (रजिस्टर्ड डाक से)।
8. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।


शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1(8)एमई/ग्रुप-1/08

जयपुर, दिनांक 29-04-2013

आ दे श

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुश्रुति पर महामहिम राज्यपाल महोदय श्रीमती विजय लक्ष्मी नांगलिया (ओबीसी), जिनकी जन्मतिथि 17-10-1984 है एवं मेरिट संख्या एम-6/बीसी महिला है, को वरिष्ठ प्रदर्शक, बायोकेमिस्ट्री के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड पे-5400) में अधिसूचना क्रमांक प.1(2)एफडी/रुल्स/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रुपये 16800/- प्रतिमाह की दर पर अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं।

इस नियुक्ति पर श्रीमती नांगलिया का पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, जयपुर में वरिष्ठ प्रदर्शक, बायोकेमिस्ट्री के रिक्त पद पर किया जाता है।

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मेमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.2004 के अनुसार अशर्त पेंशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।

उपरोक्त चिकित्सक के चरित्र स्त्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण करा लिया गया है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हे आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर कार्यभार पर उपस्थिति प्रस्तुत कर देनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अधधीन निबन्धको एवं शर्तों के तथा सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अधधीन है।

उपरोक्त चिकित्सक की नियुक्ति माननीय न्यायालय में लंबित एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. न. 11878/2011 में अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।

आज्ञा से,

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ 7(10)भर्ती/गोपनीय/2010-11/610 दिनांक 11.02.2013 के क्रम में।
4. अति, निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
6. श्रीमती विजय लक्ष्मी नांगलिया, ग्राम- खड़व-नारेहडा (नवोदय पब्लिक स्कूल के पास), तह.-कोटपूतली, जिला-जयपुर-303103 (रजिस्टर्ड डाक से)।
7. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1(8)एमई/ग्रुप-1/08

जयपुर, दिनांक 29-04-2013

आ दे श

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंसा पर महामहिम राज्यपाल महोदय डॉ. (श्रीमती) संगीता ख्यालिया, जिनकी जन्मतिथि 08-08-1985 है तथा मेरिट क्रमांक एम-7/सामान्य महिला है, को वरिष्ठ प्रदर्शक, बायोकेमिस्ट्री के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड पे-5400) में अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं। ये चिकित्सक पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, अतः वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(2)एफडी/रुत्स/06 दिनांक 13-03-2006 के अनुसार इनके वेतन-भत्ते आदि देय होंगे।

इस नियुक्ति पर डॉ. ख्यालिया का पदस्थापन मेडिकल कालेज, कोटा में वरिष्ठ प्रदर्शक, बायोकेमिस्ट्री के रिक्त पद पर किया जाता है।

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के गैगोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.3004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।


उपरोक्त चिकित्सक पूर्व में ही राज्य सेवा में कार्यरत है, ऐसी स्थिति में चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके रौकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हे आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर कार्यभार पर उपस्थिति प्रस्तुत कर देनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्वधीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्वधीन है।

उपरोक्त चिकित्सक की नियुक्ति माननीय न्यायालय में लंबित एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. न. 11878/2011 में अंतिम निर्णय के अध्वधीन होगी।

आज्ञा से,



संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ 7(10)भर्ती/गोपनीय/2010-11/610 दिनांक 11.02.2013 के क्रम में।
4. अति. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कोटा।
6. निदेशक (जनस्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
7. डॉ. (श्रीमती) संगीता ख्यालिया, 118, गली न. 4, गुरु जम्बेश्वर नगर, क्वीन्स रोड, गांधी पथ, जयपुर-302021 (रजिस्टर्ड डाक से)।
8. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।



शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1(8)एमई/ग्रुप-1/08

जयपुर, दिनांक 29-04-2013

आ दे श

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंसा पर महामहिम राज्यपाल महोदय डॉ. कमलेश कुमार तनवानी, जिनकी जन्मतिथि 14-10-1969 है एवं मेरिट क्रमांक एम-08/सामान्य है, को वरिष्ठ प्रदर्शक, बायोकेमिस्ट्री के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड पे-5400) में अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं। ये चिकित्सक पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, अतः वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13-03-2006 के अनुसार इनके वेतन-भत्ते आदि देय होंगे।

इस नियुक्ति पर डॉ. तनवानी का पदस्थापन मेडिकल कालेज, अजमेर में वरिष्ठ प्रदर्शक, बायोकेमिस्ट्री के रिक्त पद पर किया जाता है।

उपरोक्त नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।


उपरोक्त चिकित्सक पूर्व में ही राज्य सेवा में कार्यरत है, ऐसी स्थिति में चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर कार्यभार पर उपस्थिति प्रस्तुत कर देनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यक्षीय निबन्धको एवं शर्तों के तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यक्षीय है।

उपरोक्त चिकित्सक की नियुक्ति माननीय न्यायालय में लघित एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी न. 11078/2011 में अंतिम निर्णय के अध्यक्षीय होगी।

आज्ञा से,



संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शारान सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ 7(10)भर्ती/गोपनीय/2010-11/610 दिनांक 11.02.2013 के क्रम में।
4. अति. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, अजमेर।
6. डॉ. कमलेश कुमार तनवानी, 36/94, अमिता भवन, पवनसुत कॉलोनी, मिरसाली, अजमेर (रजिस्टर्ड डाक से)।
7. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।



शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1(8)एमई/ग्रुप-1/08

जयपुर, दिनांक 29-04-2013

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंसा पर महामहिम राज्यपाल महोदय डॉ. महेश बैरवा (एससी), जिनकी जन्मतिथि 25-09-1979 है एवं मेरिट संख्या एम-10/एससी है, को वरिष्ठ प्रदर्शक, बायोकेमिस्ट्री के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड पे-5400) में अधिसूचना क्रमांक प.1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रूपये 16800/- प्रतिमाह की दर पर अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं।

इस नियुक्ति पर डॉ. बैरवा का पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, अजमेर में वरिष्ठ प्रदर्शक, बायोकेमिस्ट्री के रिक्त पद पर किया जाता है।

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 8.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त/विभाग/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।


उपरोक्त चिकित्सक के चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण करा लिया गया है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर कार्यभार पर उपस्थिति प्रस्तुत कर देनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्वधीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्वधीन है।

उपरोक्त चिकित्सक की नियुक्ति माननीय न्यायालय में ललित एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. न. 11878/2011 में अतिनिर्णय के अध्वधीन होगी।

आज्ञा से,



संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ 7(10)भर्ती/गोपनीय/2010-11/810 दिनांक 11.02.2013 के क्रम में।
4. अति. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर।
6. डॉ. महेश बैरवा, सी-55, रेल्वे कॉलोनी, आनंद विहार, जगतपुरा, जयपुर-302018 (रजिस्टर्ड डाक से)।
7. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।


शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1(8)एमई/ग्रुप-1/08

जयपुर, दिनांक 29-04-2013

आ दे श

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंसा पर महामहिम राज्यपाल महोदय डॉ. प्रियंका मीणा (एसटी), जिनकी जन्मतिथि 12-02-1980 है एवं मेरिट संख्या एम-11/एसटी महिला है, को वरिष्ठ प्रदर्शक, बायोकेमिस्ट्री के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड पे-5400) में अधिसूचना क्रमांक प.1(2)एफडी/रुल्स/08 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रूपये 16800/- प्रतिमाह को दर पर अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं।

इस नियुक्ति पर डॉ. मीणा का पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, जयपुर में वरिष्ठ प्रदर्शक, बायोकेमिस्ट्री के रिक्त पद पर किया जाता है।

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/87 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.2004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।


उपरोक्त चिकित्सक के चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण करा लिया गया है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैंकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर कार्यभार पर उपस्थिति प्रस्तुत कर देनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अधधीन निबन्धको एवं शर्तों के तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अधधीन है।

उपरोक्त चिकित्सक की नियुक्ति माननीय न्यायालय में लबित एस.पी.सी.डब्ल्यू.पी. नं. 11878/2011 में अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।

आज्ञा से,


संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ 7(10)भर्ती/गोपनीय/2010-11/610 दिनांक 11.02.2013 के क्रम में।
4. अति. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
6. डॉ. प्रियंका मीणा, ई-3, महिला चिकित्सालय कैम्पस, सांगानेरी गेट, जयपुर। (रजिस्टर्ड डाक से)।
7. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।


शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1(8)एमई/ग्रुप-1/08

जयपुर, दिनांक 29-04-2013

आ दे श

राजस्थान लोक सेवा आयोग, आजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय डॉ. शिवा वासुदेव, जिनकी जन्मतिथि 09-08-1981 है एवं मेरिट संख्या एम-12/सामान्य महिला है, को वरिष्ठ प्रदर्शक, बायोकेमिस्ट्री के पद पर वेतन शृंखला 15600-39100 (ग्रेड पे-5400) में अधिसूचना क्रमांक प.1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रूपये 16800/- प्रतिमाह की दर पर अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं।

इस नियुक्ति पर डॉ. वासुदेव का पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, कोटा में वरिष्ठ प्रदर्शक, बायोकेमिस्ट्री के रिक्त पद पर किया जाता है।

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैगोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.2004 के अनुसार अंशदायी पेशान योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति पावे शासित होंगे।


उपरोक्त चिकित्सक के चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण करा लिया गया है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हे आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर कार्यभार पर उपस्थिति प्रस्तुत कर देनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अधधीन निबन्धकों एवं शर्तों के तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अधधीन है।

उपरोक्त चिकित्सक की नियुक्ति माननीय न्यायालय में लंबित एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. न. 11878/2011 में अंतिम निर्णय के अधधीन होगी।

आज्ञा से,


संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, आजमेर को उनके पत्रांक एफ 7(10)भर्ती/गोपनीय/2010-11/610 दिनांक 11.02.2013 के क्रम में।
4. अति. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, कोटा।
6. डॉ. शिवा वासुदेव, मकान न. 1-सी-11 (एसएफएस), आरएचबी कॉलोनी, सेक्टर-ए, तलवण्डी, कोटा-324005 (रजिस्टर्ड डाक से)।
7. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।


शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1(8)एमई/ग्रुप-1/08

जयपुर, दिनांक 29-04-2013

आ दे श

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंसा पर महामहिम राज्यपाल महोदय डॉ. सुरेन्द्र कुमार जीनगर (एससी), जिनकी जन्मतिथि 02-08-1983 है एवं मेरिट संख्या एम-13/एससी है, को वरिष्ठ प्रदर्शक, बायोकेमिस्ट्री के पद पर वेतन श्रृंखला 15600-39100 (ग्रेड पे-5400) में अधिसूचना क्रमांक प.1(2)एफडी/रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रूपये 16800/- प्रतिमाह की दर पर अस्थायी रूप से दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान करते हैं।

इस नियुक्ति पर डॉ. जीनगर का पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, बीकानेर में वरिष्ठ प्रदर्शक, बायोकेमिस्ट्री के रिक्त पद पर किया जाता है।

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (कालेज शाखा) नियम, 1962 की प्रवृत्ति एवं प्रावधान और राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1)कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7)वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के गैमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.2004 के अनुसार अंशदायी पेशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होंगे।


उपरोक्त चिकित्सक के चरित्र स्थापन एवं शारीरिक स्वास्थ्यता परीक्षण करा लिया गया है। चिकित्सक की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर कार्यभार पर उपस्थिति प्रस्तुत कर देनी होगी।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्याधीन गिबन्धकों एवं शर्तों के तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्याधीन है।


उपरोक्त चिकित्सक की नियुक्ति माननीय न्यायालय में लंबित एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. न. 11878/2011 में अंतिम निर्णय के अध्याधीन होगी।

आज्ञा से,


संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ 7(10)भर्ती/गोपनीय/2010-11/610 दिनांक 11.02.2013 के क्रम में।
4. अति. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर।
6. डॉ. सुरेन्द्र कुमार जीनगर, कमला कॉलोनी, गजनेर रोड, बीकानेर (रजिस्टर्ड डाक से)।
7. निजी पत्रावली / रक्षित पत्रावली।


शासन सहायक सचिव